## न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण कमांक : 07/2016 मु0फौ0

संस्थापन दिनांक 15.02.2016

चन्द्रवती तौमर पत्नी स्व० अशोक प्रकाश तौमर आयु ४० वर्ष निवासी ग्राम भौनपुरा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड

– आवेदिका

## बनाम

1.अरविन्द तौमर पुत्र जनकसिंह तौमर निवासी भौनपुरा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड 2.जनकसिंह तौमर निवासी भौनपुरा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड

अनावेदकगण

## आदेश

( आज दिनांक......गे पारित ]

- इस आदेश द्वारा धारा 9 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 जिसे आगे के पदों संरक्षण अधिकारी द्वारा घरेलू हिंसा की प्रस्तुत रिपोर्ट पर अधिनियम की धारा 12 के अधीन निराकरण किया जा रहा है।
- 2. घरेलू हिंसा रिपोर्ट के अनुसार आवेदिका चन्द्रवती द्वारा हिस्सा मांगने पर उसके देवर अनावेदक अरविन्द व ससुर जनकिसंह द्वारा दिनांक 22.04.15 को मारपीट शुरू कर दी और सारा सामान, सोना चांदी, बर्तन ले लिए। उसके साथ शारीरिक हिंसा की दहेज न लाने पर और लड़का न होने पर अपमान किया और उपहास उडाया और उसका नाम रखा उसको घर से बाहर जाने से रोका और उसको भरण पोषण संदाय नहीं किया और उसके भाग को उपयोग करने से रोका उसकी आय को बलपूर्वक छीना और बिना सहमित के स्त्रीधन विक्रय किया।
- 3. प्रकरण में अनावेदकगण को सूचना प्रेषित किए जाने पर वह वाद तामील अनुपस्थित रहे हैं और उनके द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया है।
- 4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न है कि :--

- 1. क्या आवेदिका अनावेदकगण के साथ घरेलू नातेदारी रखती है ?
- 2. क्या आवेदिका के साथ घरेलू हिंसा कारित हुई ?
- 3. सहायता एवं व्यय ?

/ / विचारणीय प्रश्न कमांक ०१ व ०२ का सकारण निष्कर्ष / /

चन्द्रवती ने कथन किया है कि उसके ससुर व देवर उसे परेशान करते हैं। उसने अपना हिस्सा मांगा तो पहले उसकी मारपीट की और गालियां दी लेकिन फिर हिस्से में पांच बीघा खेत दे दिया और जब उसने फसल बोई तो उसके हिस्से की फसल बेच दी और ना ही हिस्सा दिया ना ही अनाज दिया ना ही रूपये दिए। फिर उसने पुलिस थाना एण्डोरी में रिपोर्ट की जिन्होंने खेत देखा था और अनावेदकगण से कहा था कि उनकी खेती क्यों नहीं होने दे रहे हो फिर पुलिसवालों ने खेती जुतवाई थी और बची हुई फसल पर अनावेदक अरविन्द ने टैक्टर चलाकर फसल को नष्ट कर दिया। उसके हिस्से में खेत की मेढ़ पर 6–7 बबूल के पेड खडे थे जिन्हें काटकर बेच दिया उसे घर पर नहीं रहने देते और गाली गलौच करते हैं। जिनके भय के कारण वह घर में नहीं रहती है उसे अपने हिस्से की भूमि नहीं मिली है जो उसे दे दी जाये। अनावेदकगण ने उसका सामान चुरा लिया और टॉली ले जाकर बेच दी।

सरदार अ0सा02 ने कथन किया है कि चन्द्रवती उसकी बहन है ग्राम भौनपुर में उसे अनावेदकगण नहीं रहने देते और सामान भरकर ले जाते हैं फसल भी नहीं करने देते जब ह अपने हिस्से के खेत में फसल बोती है तो अनावेदकगण उस पर टैक्टर चलाकर उसे नष्ट कर देते हैं। अनावेदकगण आवेदिका को गाली गलौच करते हैं और गांव में अगर कोई मदद करने आये तो उसे भी गाली गलौच करते हैं। उसने आवेदिका को जो टॉली दी थी उसे भी बेच दिया और उसके हिस्से के खेत की मेढ़ पर खड़े बबूल के पेड को काट लिया और घर गृहस्थी का सामान चुरा लिया और आवेदिका की मारपीट करते हैं। अतः सरदार अ0सा02 ने भी चन्द्रवती अ0सा01 के कथन का समर्थन किया है।

7. आवेदिका द्वारा उक्त मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की गयी है। अतः उक्त अखण्डित मौखिक साक्ष्य से सिद्ध होता है कि आवेदिका अनावेदक क्रमांक 2 की बहू व अनावेदक क्रमांक 1 की भाभी है और आवेदिका के अनावेदक क्रमांक 2 के पुत्र के विवाह के परिणामस्वरूप आवेदिका और अनावेदकगण के मध्य नातेदारी स्थापित हुई है। अतः अधिनियम की धारा 2 (च) के अधीन आवेदिका और अनावेदकगण के मध्य घरेलू नातेदारी होना प्रमाणित होती है।

3. आवेदिका द्वारा अखण्डित साक्ष्य द्वारा कथन किया गया है कि अनावेकदगण द्वारा उसके द्वारा बोई गयी फसल को स्वयं बेच दिया जाता है और उसकी धनराशि नहीं दी जाती है और उसकी फसल को नष्ट कर उसे भयभीत कर घर में निवास नहीं करने दिया जाता है और उसके सामान को चुरा लिया गया है। अतः अधिनियम की धारा 4 के अधीन आवेदिका के विरुद्ध मौखिक और आर्थिक दुरूपयोग किया गया है। अतः अधिनियम की धारा 3 के अधीन आवेदिका के साथ घरेलू हिंसा कारित किया जाना प्रमाणित होती है।

अलावा भी अन्य घरेलू हिंसा की घटनाओं के प्रतिवेदन में मारपीट किया जाना के अलावा भी अन्य घरेलू हिंसा की घटनाओं का वर्णन किया है लेकिन ऐसी किसी ६ ारेलू हिंसा को न्यायालयीन साक्ष्य में आवेदिका द्वारा नहीं बताया गया है। अतः प्रमुख रूप से घरेलू हिंसा में आवेदिका के आर्थिक दुरूपयोग और मौखिक दुरूपयोग किया जाना ही प्रमाणित होता है।

10. अतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 व 02 का विनिश्चिय साबित के रूप में दिया जाता है।

/ / विचारणीय प्रश्न क्रमांक ०३ पर सकारण निष्कर्ष / /

- 11. घरेलू घटना प्रतिवेदन में पैरा क्रमांक 7 में चाही गयी सहायता का कोई तथ्य उल्लिखित नहीं है और उक्त पद रिक्त है जिसे जिला परियोजना अधिकारी द्वारा भरकर न्यायालय में नहीं भेजा गया है अतः उन्होंने पदीय कर्तव्यों का उचित रूप से निर्वहन न कर पूर्ण डी.आई.आर. रिपोर्ट नहीं बनाई है। अपने हस्ताक्षर के स्थान पर भी सुधार कर हस्ताक्षर अंकित नहीं किए गए हैं लेकिन न्यायालयीन साक्ष्य से यह प्रमाणित हुआ है कि आवेदिका के साथ घरेलू हिंसा कारित कर उसे साझा गृहस्थी में निवास करने नहीं दिया जा रहा है तथा उसे आर्थिक क्षति पहुंचाई जा रही है। कितनी धनराशि की आर्थिक क्षति हुई यह प्रमाणित नहीं है जिससे उसे क्षतिपूर्ति निश्चित नहीं की जा सकती है।
- 12. अतः अधिनियम की धारा 18 के अधीन संरक्षण आदेश व धारा 19 के अधीन निवास आदेश का अनुतोष दिया जाना न्यायोचित व आवश्यक प्रतीत होता है।
- 13. अतः अनावेदकगण को आदेशित किया जाता है कि वह अनावेदकगण, आवेदिका को स्वयं की साझा गृहस्थी में निवास करने में विध्न डालने से अवरूद्ध रहें तथा आवेदिका को साझा गृहस्थी में पुनः निवास करने दें। तथा आवेदिका द्वारा पांच बीघा भूमि पर की जा रही कृषि से उत्पन्न फसल को बिना मजिस्टेट की अनुमित के विक्रय न करें और आर्थिक हिंसा के रूप में आवेदिका की फसल को नष्ट न करें।
- 14. आदेश की प्रति आवेदक को निःशुल्क प्रदान की जाये।
- 15. आदेश की प्रति थाना प्रभारी एण्डोरी को प्रेषित कर आवेदिका को संरक्षण प्रदान करने हेत् निर्देशित किया जाये।

दिनांक :-

सही / —
(गोपेश गर्ग)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड म०प्र०